प्रत्यायुक्त विधान तथा प्रत्यायुक्त विधान समिति

272. **मेज पर विनियम, नियम आदि का रखा जाना**- (1) जबतक संविधान या संबंधित अधिनियम में इसका अन्यथा उपबंध न हो, यदि संविधान अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को प्रत्योजित विधायी कृत्यों के अनुसरण निहित कोई, विनियम, नियम, उपनियम, उप-विधि आदि को सदन के समक्ष रखा जाता है तो: जो संविधान तथा संबंधित अधिनियम में उल्लिखित अवधि जिसके लिये इसके रखे जाने की अपेक्षा है, सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित और बाद में उनका अवसान होने के पहले ही पूरी की जायेगी।

(2) यदि इस प्रकार उल्लिखित अवधि पूरी न हो तो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि को तबतक अनुवर्ती सत्र या सत्रों में रखा जायगा, जबतक कि एक ही सत्र में उक्त अवधि पूरी न हो जाय।

273. **संशोधन पर विचार-विमर्श करने के लिए समय का आवंटन**- अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से ऐसे विनियम, नियम, उप-नियम, उपविधि आदि के संबंध में संशोधन पर विचार एवं उसे पारित करने के लिए, जैसा वह ठीक समझें, कोई दिन या दिनों या किसी दिन के भाग को नियत करेंगे:

परन्तु संशोधनों की सूचना का रूप जैसा अध्यक्ष समुचित समझें, वैसा होगा, और वह सूचना इन नियमों के अनुकूल होगी।

274. **परिषद् को संशोधन का भेजा जाना**- सभा द्वारा संशोधन पारित होने के बाद उसे परिषद् को उसकी सहमति के लिए भेजा जाएगा और परिषद् से संशोधन पर सहमति का संदेश प्राप्त कर सचिव संबंधित मंत्री को इसे अग्रसारित करेंगे।

275. **परिषद् द्वारा लौटया गया संशोधन**- यदि परिषद् सभा द्वारा पारित संशोधन पर सहमत नहीं होती है या उसमें और भी संशोधन होने पर सहमत होती है या उसके बदने कोई संशोधन प्रस्थापित करती है तो सभा या तो संशोधन को छोड़ देगा या प्रस्थापित संशोधन में परिषद् से सहमत हो जायेगा या सभा द्वारा पारित मूल संशोधन को मानने का आग्रह करेगा। प्रत्येक अवस्था में परिषद् को संदेश भेजा जायेगा। यदि संशोधन में परिषद् द्वारा किये गये और संशोधन पर सभा सहमत होता है तो सचिव द्वारा संशाधित संशोधन को संबंधित मंत्री को अग्रसारित कर दिया जायगा।

276. **सदनों के बीच असहमति**- यदि परिषद् सभा द्वारा पारित मूल संशोधन में सहमत होती है तो वह सचिव के द्वारा संबंधित मंत्री को भेज दिया जायेगा, किन्तु यदि परिषद् सहमत नहीं होती है, और उस संशोधन के लिए आग्रह करती है जिसे सभा ने अस्वीकार कर दिया है, तो यह समझा आयेगा कि दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत रहे है तब उसके संबंध में की जानेवाली आगे की सारी कार्यवाही बन्द कर दी जायगी।

277. **मेज पर रखने के लिए पारित विनियम, आदि**- यदि कोई विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि को सदनों द्वारा पारित संशोधन के अनुसार रूपभेदित किया जाता है , तो उस रूपभेदित विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि को मेज पर रखा जोयगा।

278. **प्रत्यायुक्त विधान समिति और उसके कृत्य**- इस नियमावली के उपबंध के अधीन रहते हुए एक प्रत्यायुक्त विधान-समिति गठित की जा सकेगी। यह समिति इस बात की छानबीन कर सदन को प्रतिवेदन देगी कि विधान-मंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्रत्योजित करने वाले नियम परिनियम के ढांचे के भीतर उचित उपयोग में लायी गयी है या नहीं ।

279. **प्रत्यायुक्त विधान समिति का गठन**- (1) समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जिन्हें अध्यक्ष मनोनीत करेंगे।

(2) सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की होगी।

280. **"विनियम", "नियम", "उप-नियम", "उप-विधि" "आदि का संख्यांकन और प्रकाशन**- सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को प्रत्यायोजित विद्यायी- कृत्यों के अनुसरण में बनाया गया हर "विनियम", "नियम", "उप-नियम", "उप-विधि", "आदि", जिन्हें सदन के सामने रखना अनेक्षित है और जिन्हें इस नियमावली में आये "आदेश" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सदन-नेता के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा यथाविहित नियमों के अधीन उनके प्रख्यापित और संख्यांकित होने के तुरन्त बाद संख्यांकित गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

281. **समिति के कर्त्तव्य**- सदन के सामने नियम 280 में निर्दिष्ट हर आदेश के रखे जाने के बाद, समिति खासकर विचार करेगी कि-

(1) क्या यह आदेश जिस अधिनियम के अनुसारण में बनाया गया है, उसके समान्य उद्धेश्यों के अनुरूप है;

(पप) क्या इसमें ऐसा विषय है जिसे समिति की राय में, विधान-मंडल के अधिनिमय के अन्तर्गत करना हो, अधिक उचित होगा,

(पपप) क्या इसमें किसी प्रकार के कर लगाने की बात है,

(पअ) क्या इससे न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रत्याक्ष या परोक्ष रूप से बाधा डाली गयी है,

(अ) क्या इससे किसी उपबंध का भूतलक्षी प्रभाव होता है, जिसके लिए अधिनियम में स्पस्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है,

(अप) क्या इसमें संचित निधि या लोक राजस्व से व्यय अन्तर्गतस्त है,

(अपप) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि जिस अधिनियम के अनुसार यह बनाया गया उसके द्वारा प्रदत शक्तियों का कोई असाधारण या अप्रत्यशित प्रयोग इसमें किया गया है,

(अपपप) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रकाशन में या इसमें विधान-मंडल के सामने रखने में अनुचित विलम्ब हुअ है, और

(पग) क्या किसी कारणवश इसके रूप या अभिप्राय को विशद करने की आवश्यकता है।

282. **समिति का प्रतिवेदन**- (1) यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णत: या अंशत: रद्द किया जाय अथवा किसी दृष्टि में उसमें संशोधन किया जाय, तो वह ऐसे आदेश के प्रख्यापन के बाद, सदन का सत्र प्रारम्भ होने के महीने के भीतर अथवा उससे पहले या बाद ऐसी अवधि के भीतर जो विधान-मंडल के परिनियम द्वारा किसी खास मामले के लिए नियम की गई हो, अपनी राय और उसके आधार सदन को प्रतिवेदत करेगी।

(2) यदि समिति की राय हो कि किसी आदेश से संबंधित कोई अन्य विषय सदन के घ्यान में लाया जान चाहिये; तो समिति अपनी राय और उसके आधार सदन को प्रतिवेदित करेगी।

283. **प्रक्रिया का विनियमन**- अध्यक्ष ऐसा निदेश निकाल सकेंगे जो कि समिति में या सदन में प्रत्यायुक्त विधान के किसी प्रारूप पर विचार से संबंधित सभा विषयों की प्रक्रिया विनियमित करने के लिए आवश्यक समझें।

प्रत्यायुक्त विधान समिति की प्रक्रिया (आन्तरिक कार्य-प्रणाली)

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 214 के अन्तर्गत अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा द्वारा अनुमोदित तथा अधि० संख्या-1640, दिनांक 6 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित" प्रत्यायुक्त विधान समिति की आन्तरिक कार्य संचालन नियमावली।

1. इन नियमों को प्रत्यायुक्त विधान समिति की आन्तरिक कार्य संचालन नियमावली 1992 कहा जायेगा।

2. इस नियमावली में जबतक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "समिति" से तात्पर्य है बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 279 के अधीन अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रत्यायुक्त विधान समिति,

(ख) "सभापति" से तात्पर्य है समिति के सभापति,

(ग) "सदस्य" से तात्पर्य है समिति के सदस्य,

(घ) "सचिवालय" से तात्पर्य है बिहार विधान-सभा सचिवालय,

(ङ) "प्रतिवेदक" से तात्पर्य है बिहार विधान-सभा सचिवालय के अधिकृत प्रतिवेदक,

(च) "सक्षम पदाधिकारी" से तात्पर्य है किसी अधिनियम के अधीन नियमों अथवा विनियमों, विधि अथवा उप-विधि के निर्माण के लिये नामजद पदाधिकारी,

(छ) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द, वाक्य एवं वाक्यांश, जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है का व्यवहार तथा अर्थ जबतक प्रसंग अन्यथा अपेक्षा न करे, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यांशों के अनुरूप होगा।

3. समिति समय-समय पर नियमों, विनियमों, उप-नियमों, विधियों एवं उप-विधियों को संपरीक्षण के लिये आवश्यकतानुसार चुनेगी।

4. प्रत्येक प्रशासनिक विभाग बिहार विधान-सभा सचिवालय को अपने द्वारा निर्मित विनियमों, नियमों, उप-नियमों, विधियों एवं उप-विधियों की बीस प्रतियां इन विनियमों, नियमों, उप-नियमों, विधियों एवं उप-विधियों के निर्माण के 15 दिनों के अन्दर भेज देगा।

5. (क) विभागों द्वारा प्रेषित विनियमों, नियमों एवं उप-नियमों की प्रतियां प्राप्त हो जाने पर बिहार विधान-सभा सचिवालय उन्हें समिति के सदस्यों के बीच इस अनुरोध के साथ परिचालित करेगा कि वे इनके सम्बन्ध में टिप्पणी या सुझाव, यदि कोई हो, तो इसकी प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर सभा सचिव के पास अग्रसारित कर दें।

(ख) सदस्यों द्वारा प्रेषित टिप्पणी अथवा सुझावों की प्राप्ति के पश्चात् समिति बिहार विधान-सभा नियमावली के नियम 281 के प्रावधानों के आलोक में इन सुझावों या टिप्पणियों का संपरीक्षण करेगी। यदि वे क्रम में पाये जायेंगे तो यह समिति उन सुझावों या टिप्पणियों की एक समेकित सूची बनायेगी और उसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग एवं समिति के सदस्यों के पास पन्द्रह दिनों के भीतर मतव्य भेजने के लिये अग्रसारित करेगी।

(ग) प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रेषित टिप्पणियों एवं सझावों को प्राप्त करने के बाद सभा सचिवालय नियमों आदि तथा उनके सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा दिये गये टिप्पणियों एवं सुझावों का संपरीक्षण करेगा और यदि समिति की जानकारी के लिये यह आवश्यक प्रतीत हो तो समिति इस संबंध में स्वयं पूर्ण संलेख तैयार करेगी और उसे अनुमोदन के लिये सभापति के सम्मुख रखेगी। ऐसे अनुमोदित संलेख की प्रति समिति के प्रत्येक सदस्यों को भेजी जायेगी।

(घ) विनियमों, नियमों, विधियों एवं उप-विधियों के संपरीक्षण के दौरान यदि किसी विन्दु के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक समझा जाय तो इसे संबंधित प्रशासनिक विभाग को इस आशय के अनुरोध के साथ निर्दिष्ट कर दिया जायेगा कि प्राप्ति के बाद 15 दिनों के अन्दर वह इसका उत्तर भेज दे और संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त होने पर उसके आलोक में यदि आवश्यक समझा जाय तो, उस विषय का पुनः समिति संपरीक्षण करेगी और तदुपरान्त समिति स्वयं पूर्ण संलेख उपर्युक्त कंडिका की अपेक्षानुसार तैयार करेगी।

(ङ) समिति यदि आवश्यक समझे तो विनियमों, नियमों एवं उप-नियमों

6. (क) समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में की गयी अनुशंसाओं तथा समिति से पत्राचार एवं समिति की बैठकों के क्रम में विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की या सरकार क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती है, उसके संबंध में प्रशासनिक विभाग के सचिव समय-समय पर सभा सचिव को एक विवरण उपलब्ध करायेंगे। ऐसे विवरण प्राप्ति के बाद उसे समिति के सभापति के अनुमोदन हेतु संदेश के रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) कोई प्रशासनिक विभाग यदि समिति की किसी अनुशंसा को कार्यान्वित करने की स्थिति में न हो या किसी अनुशंसा को लागू करने में कठिनाई महसूस करे तो वह प्रशासनिक विभाग समिति के समक्ष अपने विचार रखेगा और समिति यदि आवश्यक समझे तो प्रशासनिक विभाग के विचारों के संबंध में समिति अपने मंतव्य के साथ सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

7. राज्य सरकार के विभागों द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदि के प्रारूप को प्रकाशित किया जायेगा जिसके द्वारा एक महीने के अन्दर जनता तथा इससे रुचि रखनेवाले व्यक्तियों से उनकी टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित किया जायेगा।

8. बिहार राजपत्र में ऐसे नियमों, विनियमों आदि की अधिसूचना होते ही उनकी प्रतियां राज्य सरकार के विभाग, समिति को संपरीक्षण के लिये 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगी।

9. अधिनियम के प्रभावी होने के छः माह के अन्दर तत्संबंधी सभी नियमों, विनियमों आदि को सरकार के विभाग द्वारा बना लेना आवश्यक है, यदि किसी विशेष स्थिति में सरकार के विभाग किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा करने में असमर्थ हो, तो कारणों को स्पष्ट करते हुए समिति के समक्ष विचार करने के लिये याचना कर सकता है।

10. अधिनियम एवं विनियमावली के तहत बिहार सरकार के किसी विभाग द्वारा किन्हीं पदों अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु समिति विचार कर सकती है।

वि०स०मु० (एल० ए०) 128—मोनो—750—18-7-1992—रा० प्र० सिंह